सुमेरकुमार पन्नालाल जी काले (सेवा निवृत्त अपर राज्यकर आयुक्त)
चुनाव अधिकारी
भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव वर्ष 2024-2028
मो. 9850046700

सुरेन्द्रकुमार बाकलीवाल, इंदौर
चुनाव संयोजक
भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव वर्ष 2024-2028
मो. 9425064525

महामंत्री कार्यालय का पता :
भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी
हीराबाग, सी.पी. टैंक, मुंबई - 400004
022-23859370, 23878293

साधारण सभा के अधिवेशन की सूचना

दिनांक : 05-12-2023

मान्यवर, सभासद – साधारण सभा
भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, मुंबई

सादर जय जिनेन्द्र !

सूचनार्थ निवेदन है कि हमें भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री संतोष कुमार जैन पेंढारी, नागपुर महाराष्ट्र ने अपने दिनांक 21-11-2023 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 को संपन्न हुई भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी की पदाधिकारी परिषद की बैठक में हमें तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न कराने हेतु चुनाव अधिकारी / चुनाव संयोजक मनोनीत किया गया है ।

आप भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के सदस्य हैं और अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मतदाता हैं । अध्यक्ष पद का निर्वाचन **शनिवार दिनांक 27 जनवरी, 2024** को **श्री प्रज्ञाश्रमण दिगम्बर जैनाचार्य देवनंदी जी ट्रस्ट (णमोकार तीर्थ), पता- मुंबई - आगरा हाईवे नं. 3, मु.पो. मालसाने – 423101, ता. चांदवड, जिला- नाशिक, (महाराष्ट्र)** में प्रातः 10:30 बजे से अपरांह 05:30 तक गुप्तमतदान द्वारा संपन्न होगा ।

निर्वाचन सम्बंधित सूचना निम्नानुसार है-

1)	मतदाता सूची का अनुमोदन	मंगलवार, 05 दिसम्बर 2023
2)	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (कमेटी द्वारा निर्धारित पत्र में कमेटी के मुंबई स्थित कार्यालय में चुनाव अधिकारी को संबोधित सील्ड कवर में पहुँचने चाहिए) ।	शनिवार, 23 दिसम्बर 2023
3)	प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच	सोमवार, 25 दिसम्बर 2023 दोपहर 04:00 बजे से शाम 06 बजे तक
4)	प्राप्त वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन	सोमवार, 25 दिसम्बर 2023 शाम 06:00 बजे से 07:00 बजे तक
5)	नामांकन वापस की तिथि एवं समय	शनिवार, 30 दिसम्बर 2023 दोपहर 04:00 बजे तक
6)	अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन (मुंबई कार्यालय में)	शनिवार, 30 दिसम्बर 2023 शाम 05:00 बजे
7)	निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान श्री णमोकार क्षेत्र (नाशिक) पर	शनिवार, 27 जनवरी 2024 प्रातः 10 :30 बजे से शाम 05:30 तक
8)	मतगणना	शनिवार, 27 जनवरी 2024 शाम 06:00 बजे से परिणाम घोषित होने तक
9)	परिणाम की घोषणा	मतगणना के उपरांत

कृपया उपरोक्तानुसार निर्वाचन कार्यक्रम में भाग लेकर व्यवस्था में सहयोग करें ।

भवदीय,

सुरेन्द्र कुमार बाकलीवाल
(चुनाव संयोजक)

सुमेरकुमार काले
(सेवा निवृत्त अपर राज्यकर आयुक्त)
(चुनाव अधिकारी)

विशेष सूचना :- मतदान करने के लिए मतदाता को अपने पहचान के रुप में निर्वाचन में आयोग द्वारा जारी मतदान परिचय पत्र / आधार कार्ड / पेनकार्ड/ ड्रायविंग लाइसेंस / पासपोर्ट में से किसी एक की मूल (ऑरिजनल) प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा, अन्यथा मतदाता मतदान करने से वंचित कर दिए जायेंगे ।

भवदीय,

सुरेन्द्र कुमार बाकलीवाल
(चुनाव संयोजक)

सुमेरकुमार काले
(सेवा निवृत्त अपर राज्यकर आयुक्त)
(चुनाव अधिकारी)

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी – निर्वाचन – 2024 - 2028
अभ्यर्थियों हेतु आदर्श आचरण संहिता

1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि निर्वाचन के समुचित संचालन तथा नैतिकता और सुचिता का उच्चस्तर बनाये रखने के लिए आचरण सहिंता का पालन करें ।
2. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो ।
3. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका सम्बन्ध उसके सार्वजानिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो ।
4. किसी अभ्यर्थियों की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए ।
5. किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवार के सम्बन्ध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा, जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो ।
6. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक अथवा प्रलोभन नहीं देना ।
7. मतदान केंद्र में या उसके आस-पास विच्छृंखल आचरण करना या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डालेगा।
8. मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज़ पर होनी चाहिए ।
9. मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारु रुप से संपन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।
10. मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जाना चाहिए ।

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी – निर्वाचन -2024 – 2028
अभ्यर्थी के लिए निर्देश

1. अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए ।
2. वह दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी होना चाहिए ।
3. अभ्यर्थी का नाम मतदान सूची में दर्ज होना चाहिए ।
4. कोई व्यक्ति अधिकतम दो नाम निर्देशन –पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।
5. अभ्यर्थियों के प्रस्तावक व अनुमोदक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ।
6. नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के समय अभ्यर्थी का उपस्थित रहना आवश्यक है ।
7. नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी प्रस्तावक एवं अनुमोदक के हस्ताक्षर न होने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।
8. मतपत्र देवनागिरी लिपि के वर्णक्रमानुसार (हिन्दी में) तैयार किया जायेगा ।
9. अभ्यर्थी द्वारा जिस रुप में नाम निर्देशन पत्र में नाम लिखा है, उसी आधार पर मतपत्र में नाम लिखा जायेगा ।
10. प्रत्येक अभ्यर्थी अपना एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है ।
11. प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है ।
12. प्रत्येक अभ्यर्थी एक – गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है ।
13. मतदाता सूची में दो या अधिक नामा होने पर एक ही बार मतदान की पात्रता होगी ।
14. मतदाता मतदान केंद्र पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है । मतदान हेतु कोई अन्य तरीका मान्य नहीं होगा।
15. चुनाव सम्बन्धी किसी समस्या / शिकायत निर्वाचन अधिकारी को समय सीमा में लिखित रुप से प्रस्तुत की जा सकती है ।
16. मतदान हेतु फोटोयुक्त परिचय पत्र अनिवार्य होगा (पासपोर्ट, आयकर विभाग का पेनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचयपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधारकार्ड।)
17. निर्वाचन के बाएं हाथ की तर्जनी (अंगूठे के बाद की उंगली) के नाखून की जड़ के पास अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा।
18. महिला तथा पुरुष मतदाताओं के लिए पृथक-पृथक कतारें होगी ।
19. प्रत्येक प्रत्याशियों को डिपोजिट के रुप में रु. दो लाख का ड्राफ्ट भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, वी.पी. रोड मुंबई के नाम से देना अनिवार्य रहेगा, जो नामांकन पत्र के साथ देय होगा । नामांकन पत्र वापस लेने अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में डिपोजिट की राशि वापस कर दी जाएगी ।
20. प्रत्येक प्रत्याशियों को हुए कुल मतदान का 15% मत प्राप्त करना अनिवार्य होगा इससे कम मत प्राप्त होने पर डिपोजिट राशि जब्त कर ली जाएगी।
21. चूंकि तीर्थक्षेत्र कमेटी के पास निर्वाचन हेतु प्रथक फण्ड नहीं है, विधान अनुसार स्थाई फण्ड से कोई व्यय नहीं किया जा सकता अतः नाम वापसी पश्चात शेष रहे प्रत्याशियों को चुनाव के पहले अनुमानित खर्च की बराबर – बराबर राशि भुगतान देय होगी।